रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102021-230291
CG-MH-E-09102021-230291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
No. 443] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 16 सितम्बर 2021

सं. टीएएमपी/65/2016-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत द्वारा, पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) में स्टीवडोरिंग और तटीय प्रहस्तन कार्यों के लिए मौजूदा दरमानों की वैधता अवधि में, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार वृद्धि करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>मामला सं. टीएएमपी/65/2016-पीपीटी</u>

पारादीप पत्तन न्यास --- आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर 2021 के 15 वें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास(पीपीटी) में स्टीवडोरिंग और तटीय प्रहस्तन कार्यों के लिए मौजूदा दरमानों (एसओआर) की वैधता अवधि में वृद्धि से संबंधित है।

2. पीपीटी के मौजूदा एसओआर, इस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/65/2016-पीपीटी

दिनांक 19 मार्च 2018 द्वारा अनुमोदित किये गये थे जिन्हें 11 अप्रैल 2018 को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 151 के तहत अधिसूचित किया गया था। आदेश में एसओआर की वैधता 10 अप्रैल 2021 तक निर्धारित थी।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने अपने पत्र सं.टीडी/टीएम/जीईएन/215/643 दिनांक 30 मार्च 2021 के तहत पीपीटी में स्टीवडोरिंग और तटीय प्रहस्तन कार्यों के संचालन के लिए अपने दरमानों की वैधता की अवधि, एक वर्ष के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3.2. तत्पश्चात, पीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 22 जुलाई 2021 के माध्यम से पीपीटी के न्यासी बोर्ड की 13 जुलाई 2021 को आयोजित बैठक संख्या 01/2021-22 की कार्यवाही प्रस्तुत की है जिसमें पीपीटी में स्टीवडोरिंग और तटीय प्रहस्तन कार्यों के संचालन के लिए 11.04.2021 से 10.04.2022 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान एसओआर की वैधता अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

4. चूंकि पीपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता पहले ही 10 अप्रैल 2021 को समाप्त हो चुकी है और पीपीटी द्वारा दायर किए गए प्रस्ताव (भावी) पर कार्रवाई के लिए आवश्यक समय पर विचार करते हुए और पीपीटी के दरमानों की शून्यता से बचने के लिए पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता अवधि को 10 अप्रैल 2021 से आगे बढ़ाना उचित समझा गया है।

5. परिणामत:, ऊपर दिए गए कारणों और समग्र सोच-विचार के आधार पर, यह प्राधिकरण, पीपीटी के अनुरोध के अनुसार और जैसा कि इसके न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है, पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता अवधि को 11 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए इच्छुक है। पीपीटी को यह भी सलाह दी जाती है कि वह स्टीवडोरिंग और तटीय प्रहस्तन नीति, 2016 का अनुपालन करते हुए अपना प्रस्ताव 10 फरवरी 2022 तक दाखिल कर दे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./301/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th September 2021

No. TAMP/65/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates for stevedoring and shore handling operations at the Paradip Port Trust (PPT) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/65/2016-PPT

Paradip Port Trust --- **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2021)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) for stevedoring and shore handling operations at the Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing SOR of PPT was approved by this Authority vide its Order No. TAMP/65/2016-PPT dated 19 March 2018 which was notified in the Gazette of India on 11 April 2018 vide Gazette No. 151. The Order prescribed the validity of the SOR till 10 April 2021.

3.1. In this backdrop, the PPT vide its letter no. TD/TM/GEN-215/643 dated 30 March 2021 has made a request to extend the validity of its SOR for stevedoring and shore handling operations at PPT for a period of one year.

3.2. Subsequently, the PPT vide its email dated 22 July 2021 has furnished the proceedings of the Board of the Trustees Meeting No. 01/2021-22 of PPT held on 13 July 2021 approving the proposal for extension of validity of the present SOR for stevedoring and shore handling operations at the PPT for a period of 1 year w.e.f. 11.04.2021 to 10.04.2022.

4. Since the extended validity of the existing Scale of Rates of PPT has already expired on 10 April 2021 and considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the Scale of Rates of PPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT beyond 10 April 2021.

5. In the result and for the reasons given above and based on the collective application of mind, this Authority is inclined to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT for one year i.e. from 11 April 2021 to 10 April 2022 as requested by PPT and as approved by its Board of Trustees. The PPT is also advised to file its proposal latest by 10 February 2022, following Stevedoring and Shore handling Policy, 2016.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./301/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.09 13:25:32 +05'30'